

भारत सरकार  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3421 जिसका उत्तर  
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

†3421. श्री नव चरण माझी :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पत्तन अवसंरचना, स्टार्टअप्स और अन्य समुद्री पहलों में वित्तीय अंतराल को पाठने के लिए सरकार द्वारा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएफसीएल) से लाभ लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) एसएमएफसीएल द्वारा प्रस्तुत विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने टियर-1 पूँजी उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) जहाज निर्माण, क्रूज पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इन निधियों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  
(श्री सर्वानन्द सोणोवाल)

(क) और (ख): समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण अंतराल को दूर करने के लिए सागरमाला वित्तीय कार्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएफसीएल) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्पित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया गया है। कार्पोरेशन का लक्ष्य पत्तन प्राधिकरणों, पोत परिवहन कंपनियों, एमएसएमई आदि जैसे विविध हितधारकों को तदनुकूल वित्तीय उत्पाद प्रदान करना है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*